परिपत्र सं. - 1011046 / वाणि 2010 दिनांक - 16/9/10



## वाणिज्य कर विभाग,उ0प्र0

पत्र संख्या-ए0एस0-एक (45)-वैट खण्ड पुनर्गठन- / (फैजाबाद) / (2010-11 ) / 778 / वाणिज्य कर

लखनऊ: दिनांक : 15.9. ,2010

### आदेश / विज्ञप्ति

शासन के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या-सी0एम0-1858/1-5-2010-181-2002-टी0सी0-पा0-5, दिनांक 01-07-2010 के अन्तर्गत जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (मुख्यालय गौरीगंज) पुनर्स्थापित किया गया है। अतः इस जिले में वाणिज्य कर मण्डल एवं इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवश्यक खण्डों के सृजन के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 (यथा संशोधित) के नियम-3 के उपनियम-2 उपबन्धों के अधीन वाणिज्य कर मण्डल, सुल्तानपुर (जिला-सुल्तानपुर) के खण्ड-4 एवं वाणिज्य कर मण्डल रायबरेली (जिला रायबरेली) के खण्ड-3 को समाप्त करते हुये नया वाणिज्य कर मण्डल छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (मुख्यालय गौरीगंज) और इसके अन्तर्गत दो नये खण्डों के सृजन तथा विघटित खण्डों के फलस्वरुप प्रभावित खण्डों की सीमाओं का पुनर्निधारण निम्नवत किया जाता है:-

**1- नवसृजित वाणिज्य कर मण्डल और उसके खण्डों का विवरण :**

क- वाणिज्य कर मण्डल : दो खण्डीय जिला छत्रपतिशाहूजी महाराज नगर (मुख्यालय गौरीगंज)।

**ख- खण्ड-1 छत्रपति शाहूजी महाराज नगर**

तहसील अमेठी का समस्त ग्रामीण, औद्योगिक व शहरी क्षेत्र। तहसील मुसाफिरखाना (विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर) का समस्त ग्रामीण, औद्योगिक व शहरी क्षेत्र।

**ग- खण्ड-2 छत्रपति शाहूजी महाराज नगर**

तहसील तिलोई, सालोन एवं गौरीगंज का समस्त ग्रामीण, औद्योगिक व शहरी क्षेत्र तथा जिला छत्रपति शाहूजी महराज नगर के वह क्षेत्र जो खण्ड-1 में सम्मिलित नहीं है।

**2- प्रभावित वाणिज्य कर मण्डलों एवं खण्डों का पुर्ननिर्धारण :**

**1. वाणिज्य कर मण्डल सुल्तानपुर :**

**क- खण्ड-1, सुल्तानपुर :**

गोमती ब्रिज से जिला अस्पताल तक जाने वाली फैजाबाद रोड के बायीं तरफ तथा जिला अस्पताल से पोस्ट आफिस चौराहा होते हुए नार्मल चौराहे तक जाने वाली जी0एन0रोड के बायें तरफ का भू-भाग तथा नार्मल चौराहे से राहुल चौराहे होते हुए डिहवा तक जाने वाली सड़क के बायीं तरफ का भू-भाग एवं सदर तहसील इस खण्ड में सम्मिलित है।

**ख- खण्ड-2, सुल्तानपुर :**

जिला अस्पताल के सामने से पंजाबी मार्केट होते हुए पोस्ट आफिस चौराहे तक जाने वाली सड़क के दायीं तरफ तथा सब्जी मण्डी से शाहगंज चौराहे तक जाने वाली सड़क के बायीं तरफ का भू-भाग (पारकीसगंज, खोया मण्डी एवं शाहगंज) तथा पोस्ट आफिस चौराहे से नार्मल चौराहे व नार्मल चौराहे से राहुल चौराहा होते हुए डिहवा तक जाने वाली सड़क के दायीं तरफ तथा पोस्ट आफिस चौराहे से पायागीपुर चौराहे तक वाराणसी हाईवे रोड पर बाईपास तक सड़क के बायीं तरफ का भू-भाग (शास्त्रीनगर, लक्ष्मणपुर कालोनी, नरायनपुर, पयागीपुर) कादीपुर एवं जयसिंहपुर तहसील इस खण्ड में सम्मिलित है।

**ग- खण्ड-3, सुल्तानपुर :**

नई सब्जी मण्डी चौराहे से पूरब घण्टाघर होते हुए इलाहाबाद रोड पर शाहगंज तिराहे में मिलकर पयागीपुर तक जाने वाली सड़क के दाहिनी तरफ (मेजरगंज, ठठेरी बाजार, नेशनल सिनेमा रोड, शाहगंज, दरियापुर, खैराबाद) ओवर ब्रिज से लखनऊ रोड रेलवे क्रासिंग तक सुल्तानपुर रेलवे लाईन के पूरब तरफ का भाग, पयागीपुर, लम्भुआ तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र, गोमती ब्रिज से सब्जी मण्डी लखनऊ नाका होते हुए गभडिया तक जाने वाली सड़क के दाहिनी तरफ के मोहल्ले (गोला घाट बस स्टेशन, बढैयाबीर, करौदिया, निराला नगर, विवेकनगर, रुद्र नगर, लखनऊ नाका) ओवर ब्रिज से लखनऊ रोड

रेलवे क्रासिंग तक रेलवे लाईन के पश्चिम तरफ का क्षेत्र सड़क के दोनो तरफ का क्षेत्र तथा जनपद सुल्तानपुर का शेष भाग जो सुल्तानपुर खण्ड-1 व 2 में सम्मिलित नहीं है।

घ- खण्ड-4, सुल्तानपुर

समाप्त

II. वाणिज्य कर मण्डल रायबरेली :

क- खण्ड-1, रायबरेली

तहसील सदर (नगरपालिका क्षेत्र छोड़कर) एवं तहसील महराजगंज तथा नगरपालिका क्षेत्र रायबरेली का अमांवा रोड से रतापुर चौराहा होते हुए डबल फाटक क्रासिंग से रेलवे स्टेशन से घंटाघर होते हुए सुपर मार्केट से कचहरी रोड होते हुए आँख का अस्पताल तथा डिग्री कालेज चौराहा होते हुये सिविल लाइन चौराहा से होते हुए परसेदपुर रोड के बायीं तरफ का भाग।

ख- खण्ड-2, रायबरेली

तहसील डलमऊ, ऊँचाहार, लालगंज तथा नगरपालिका क्षेत्र रायबरेली का अमांवा रोड से रतापुर चौराहा होते हुए डबल फाटक क्रासिंग से रेलवे स्टेशन से घंटाघर होते हुए सुपर मार्केट से कचेहरी रोड होते हुए आँख का अस्पताल तथा फिरोज गाँधी डिग्री कालेज चौराहा होते हुए सिविल लाईन चौराहे से होते हुए परसेदपुर रोड की दायी ओर का भाग, कोतवाली से बस स्टैण्ड होते हुए पुलिस लाइन चौराहा से कानपुर रोड के दाहिनी ओर का भाग। जनपद रायबरेली का शेष भाग जो खण्ड-1 में सम्मिलित नहीं है।

ग- खण्ड-3, रायबरेली

समाप्त

( चन्द्रभानु )

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

पृ0 पृ0 सं0 व दिनॉक उक्त।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उ0 प्र0, शासन (अनुभाग-4)।
2. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन।
3. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
6. सम्बन्धित जोन के समस्त ज्वा0 कमि0 ( कार्य0) / (वि0अनु0शा0) / (अपील) वाणिज्य कर।
7. सम्बन्धित जोन समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर द्वारा एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, फैजाबाद व लखनऊ प्रथम।
8. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी रायबरेली, सुल्तानपुर एवं छत्रपतिशाहूजी महराज नगर (गौरीगंज)।
9. अध्यक्ष एवं सदस्य व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. ज्वा0 कमि0 उच्चतम न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद।
11. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
12. संख्या / मैनुअल अनुभाग को 5-5 प्रतियाँ।
13. निदेशक एवं मुद्रण सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को साधारण शासकीय गजट में प्रकाशित कराकर इसकी मुद्रित 100 प्रतियॉ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

D:\KHAND PUNARGHATHAN\KHAND PUNARGHATHAN\FAZABAD.doc